

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक: 03/01/2017

संख्या-3/एल-1-25/2016- 733 (3) /स्वा०, डा० ध्रुव प्रसाद गुप्ता, अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जहानाबाद को दिनांक 01.02.2017 से 05.03.2017 तक निम्नांकित शर्तों के साथ नियमानुसार अपने पुत्र से मिलने के लिए विदेश (फ्रांस) जाने की अनुमति दी जाती है :-

- (क) अवकाश अवधि का विस्तार नहीं करेंगे ।
- (ख) प्रवास के दौरान धनोपार्जन हेतु अपने पेशे का इस्तेमाल नहीं करेंगे ।
- (ग) अपना प्रभार सौंप कर ही विदेश प्रस्थान करेंगे ।
- (घ) यह यात्रा बिल्कुल निजी होगी तथा किसी भी तरह का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।
- (ङ) सभी तरह का व्यय स्वयं वहन करना होगा ।
- (च) प्रवास के दौरान किसी भी तरह का लेखे का भुगतान प्राप्त नहीं करेंगे ।
- (छ) प्रवास से लौटने पर पुनः यथावत अपना योगदान करेंगे ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह० / -

(शेखर चन्द्र वर्मा)

सरकार के संयुक्त सचिव


ज्ञापांक-3/एल-1-25/2016- 733(3)

/पटना, दिनांक 03/01/2017

प्रतिलिपि : महालेखाकार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि : निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/क्षेत्रीय अपर निदेशक, मगध प्रमंडल गया/सिविल सर्जन, जहानाबाद/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जहानाबाद/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ डा० ध्रुव प्रसाद गुप्ता, अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा 2 एवं 3 को सूचनार्थ प्रेषित ।


सरकार के संयुक्त सचिव